



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट – ए संख्या – 988 वर्ष 2026

राम दुलारे याचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : अशोक मालवीय

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक मालवीय तथा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें वर्ष 1984 में चमरासी पद पर नियुक्त किया गया था और वे दिनांक 31.12.2025 को सेवानिवृत्त हो गए, किन्तु उन्हें अभी तक सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, सेटलमेंट अधिकारी, चकबंदी द्वारा उनका प्रकरण दिनांक 16.12.2025 को आयुक्त, चकबंदी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया है, परन्तु अभी तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है।
3. इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया निर्णय प्रतिवादी संख्या-4 द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
4. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता स्वयं द्वारा सत्यापित रिट याचिका की प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक समग्र प्रत्यावेदन प्रतिवादी संख्या-4 के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या-4 विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार कर, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निर्णय करेगा।

जनवरी 28, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"